

राजस्थान सरकार



# रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 153/नागौर 2009-2010

यह प्रमाणित किया जाता है कि ..... अधिकार प्रत्यक्ष के शरीर से साक्ष्यी आकेली स .....  
..... जिला ..... नागौर ..... का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,

1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक ..... 23 ..... माह ..... अक्टूबर .....

सन् दो हजार ..... को ..... में दिया गया।



रजिस्ट्रार संस्थाएं  
नागौर

श्री आर. आर. मोहन, मालास फोन: 01580-240177